



(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियो टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2. महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3. बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व [www.cybercrime.gov.in](http://www.cybercrime.gov.in) के बारे में जानकारी दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओं की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेट रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओं को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वाड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओं एवं बालिकाओं का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रूप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रूप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). आज दिनांक 17.04.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यपाल सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक भरतकूप श्री उपेंद्र प्रताप सिंह, उ0नि0 श्री श्यामदेव सिंह थाना पहाड़ी द्वारा 06 कुंतल केला का वितरण किया गया। चित्रकूट पुलिस द्वारा लगातार विगत 31 माह से सीतापुर मेला क्षेत्र में आये हुये श्रद्धालुओं को फल,हल्का नाश्ता या प्रसाद विवतण किया जाता है।

(3). आज दिनांक-17.04.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी एलआईयू श्री नागेन्द्र भूषण पाठक के मार्गदर्शन में एलआईयू उ0नि0 श्री शिवसागर तिवारी के नेतृत्व में एस चेक टीम,डॉग स्कॉयड,एलआईयू की संयुक्त टीम द्वारा वैशाख मास अमावस्या मेला की दृष्टिगत सम्पूर्ण रामघाट /रामघाट पर स्थित प्रमुख मठ मंदिरों /आस पास का एरिया में संयुक्त रूप से चेकिंग की गई एवं डीबीएस टीम द्वारा परिक्रमा मार्ग पर संदिग्ध वस्तुओं/स्थानों की चेकिंग की गयी।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थानाध्यक्ष सरधुवा श्री राम सिंह द्वारा आपराधिक प्रवृत्ति के अभ्यस्त अपराधी जो दबंगई व गुण्डई के बल पर भोली-भाली जनता में भय आतंक फैलाकर गुंडागर्दी करने वाले अभियुक्त 1.सलामत पुत्र अब्दुल उर्फ सलाउद्दीन उम्र 27 वर्ष निवासी औदहा थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट 2.दिनेश कुमार यादव पुत्र छेदीलाल यादव उम्र 33 वर्ष निवासी ग्राम मिर्जापुर थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट 3.छेदीलाल यादव पुत्र केदार यादव उम्र करीब 59 वर्ष निवासी ग्राम मिर्जापुर थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट 4. अमरपाल यादव पुत्र पुत्र छेदीलाल यादव उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम मिर्जापुर थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट 5.भीमसेन निषाद पुत्र भोला प्रसाद उम्र करीब 36 वर्ष निवासी ग्राम कुबेर का डेरा मजरा चिल्लीमल थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट 6. रामू निषाद पुत्र भोला प्रसाद उम्र करीब 41 वर्ष निवासी ग्राम चिल्लीमल थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट 7. छितानी निषाद उम्र करीब 45 वर्ष निवासी ग्राम गजाधर का डेरा मजरा भदेदू थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट 8. छोटू पुत्र अभई यादव उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम विलास थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट 9.पप्पू उर्फ रामकिशोर उम्र करीब 31 वर्ष पुत्र झल्ला उर्फ झाली यादव निवासी ग्राम विलास थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट 10.छोटे सिंह पुत्र बाल्मीकि उम्र करीब 46 वर्ष निवासी ग्राम ममसी बुजुर्ग थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट 11.सुनील सिंह पुत्र स्व0 राममनोहर सिंह उम्र करीब 42 वर्ष निवासी ग्राम ममसी बुजुर्ग थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट 12.संतोष निषाद पुत्र स्व0 चौबा निषाद निवासी ग्राम मजरा चांदी थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट 13. शिवबरन आरख पुत्र मेवालाल आरख निवासी ग्राम नैनी थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट 14.रज्जन उर्फ राजनारायण पुत्र स्व0 कल्लू उम्र करीब 32 वर्ष निवासी कालूपुर मजरा सरधुवा जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 129 बीएनएसएस की कार्यवाही की गयी।